आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

09-10-14

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या-सी0आर0एम0-08/12-13

सत्यनारायण राम

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

यह अपील वाद सत्यनारायण राम पिता-स्व0 सुरज राम सा0-सपर्हा थाना-सेमरा जिला-पश्चिम चम्पारण के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश दिनांक 21.09. 2009 के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसके तहत अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या-19/07 को तत्कालिक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपीलकर्ता का अपील आवेदन पत्र इनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया गया। अपील आवेदन पत्र के आलोक में निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम पंचायत राज बैराटी वरिअरवा प्रखंड बगहा-2 के द्वारा माह-जून, जुलाई एवं अगस्त-2008 में वी0पी0एल0 खाद्यान्न का डाफ्ट जमा नहीं किया गया है। आरोप के संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बगहा-2 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली से संबंधित अनुज्ञप्ति संया-19/2007 को अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश दिनांक 24.11.2008 द्वारा निलंबित कर दिया गया । साथ ही आरोप के संबंध में अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

अपीलकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उन्होनें माह-जून-2008 का डाफ्ट लगाया है। पिता की बीमारी एवं मृत्यृ के कारण जूलाई-08 से नवम्बर-08 तक ड्राफ्ट जमा नही किया

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

गया है। अनुमंडल पदाधिकारी बगहा द्वारा उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा वी0पी0एल0 योजना के खाद्यान्न उठाव के लिए उत्सुक नही है जिसके कारण गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित होना पड़ा है।

अपीलकर्ता द्वारा समर्पित अपील आवेदन में कहा गया है कि उन्होनें वी0पी0एल0 लाभूको के बीच राशन वितरण हेतु माह जूलाई-08 का बैंक ड्राफ्ट जमा किया है तथा लाभूको के बीच उनके द्वारा राशन वितरण किया गया है। भंडार निर्गमनदेश की छायाप्रति संलग्न है। राशन उठाव माह-नवम्बर-08 में कराया गया। रूपयें अवरूद्ध होने के कारण अपीलकर्ता द्वारा आगे राशन का उठाव नही हो सका।

अपीलकर्ता का कहना है कि उनका जनवितरण प्रणाली दुकान को दिनांक 24.11.2008 को निलंबित किया गया तथा दिनांक 21.09. 2009 को रदद् कर दिया गया। जबकि Bihar Trade Articles order 1984 (11) 2 के आलोक में जनवितरण प्रणाली दुकान 90 दिन से ज्यादा निलंबित नही रह सकता है।

जनवितरण प्रणाली विक्रेता का कहना है कि उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बगहा को दिनांक 10.12.2008, 28.05.2009 एवं 15.07.2009 को तीन स्पष्टीकरण दिया गया है। उसी दौरान उनके पिता की तबियत गम्भीर रूप से खराब हो गयी तथा बीमारी के कारण उनकी मृत्यू दिनांक 22.08.2008 को हो गयी। इस घटना के बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर विचार नही किया गया। साथ ही इनका कहना है कि खाद्यान्न का उठाव प्रत्येक माह उपलब्ध नही कराया जाता है इस आशय का उल्लेख उनके द्वारा समर्पित दिनांक 28. 05.2009 के स्पष्टीकरण में अंकित है। प्रमाण स्वरूप पिता के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। उपरोक्त विवेचित तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध संबंधित

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किसी तरह का कालाबाजारी नही किया गया है। अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश दिनांक 21.09.2008 को रदद् किया जाता है तथा जनवितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या-19/2007 को पुर्नर्जिवित किया जाता है। साथ ही अपीलकर्ता को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में यदि उनके द्वारा खाद्यान्न का उठाव समय से नही किया जाता है तो उनके जनवितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति को रदद् कर दिया जाएगा। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 08/10/14 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 08/10/14	